

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 224  
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा को बढ़ावा

\*224. श्री राजीव राय: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा देशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/योजना-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से अब तक प्राप्त लाभों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री  
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

‘सौर ऊर्जा को बढ़ावा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई योजनाओं की शुरुआत की है। क्रियाशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग) इन योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में व्यय की गई धनराशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) 92 गीगावाट से अधिक संचयी क्षमता की सौर परियोजनाओं की स्थापना देश में की गई है। इसका विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

ये परियोजनाएं विद्युत उत्पादन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थानीय रोजगार आदि सहित विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं।

‘सौर ऊर्जा को बढ़ावा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 224 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य से सौर पार्को और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में सहायता करती है।
2. देश भर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए “राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम” नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)।

अनुलग्नक-II

‘सौर ऊर्जा को बढ़ावा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 224 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

सौर पार्क योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का

ब्यौरा

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22<br>(करोड़ रु. में) | 2022-23<br>(करोड़ रु. में) | 2023-24<br>(करोड़ रु. में) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| छत्तीसगढ़               | 0.0                        | 0.0                        | 14.3                       |
| गुजरात                  | 28.0                       | 522.2                      | 505.1                      |
| कर्नाटक                 | 40.0                       | 0.0                        | 0.0                        |
| केरल                    | 0.0                        | 2.5                        | 0.0                        |
| लद्दाख                  | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        |
| मध्य प्रदेश             | 50.8                       | 109.4                      | 59.3                       |
| महाराष्ट्र              | 0.0                        | 12.0                       | 0.0                        |
| मिजोरम                  | 0.5                        | 1.3                        | 0.0                        |
| राजस्थान                | 87.2                       | 0.0                        | 97.5                       |
| उत्तर प्रदेश            | 0.9                        | 28.8                       | 39.3                       |
| कुल                     | 207.3                      | 676.1                      | 715.5                      |

सौर रूफटॉप योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों

का ब्यौरा

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22<br>(करोड़ रु. में) | 2022-23<br>(करोड़ रु. में) | 2023-24<br>(करोड़ रु. में) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| आन्ध्र प्रदेश           | 2.1                        | 5.6                        | 3.0                        |
| असम                     | 0.4                        | 4.9                        | 2.0                        |
| बिहार                   | 0.0                        | 0.0                        | 9.3                        |
| चंडीगढ़                 | 0.0                        | 2.0                        | 3.3                        |
| छत्तीसगढ़               | 1.2                        | 3.3                        | 1.2                        |
| गोवा                    | 3.6                        | 0.0                        | 0.0                        |
| गुजरात                  | 1214.7                     | 1040.2                     | 639.1                      |
| हरियाणा                 | 7.7                        | 14.7                       | 13.5                       |
| हिमाचल प्रदेश           | 13.8                       | 11.7                       | 2.4                        |
| जम्मू और कश्मीर         | 20.2                       | 1.2                        | 0.0                        |
| झारखंड                  | 6.6                        | 3.0                        | 0.0                        |
| कर्नाटक                 | 0.0                        | 9.9                        | 7.9                        |
| केरल                    | 36.3                       | 102.5                      | 104.2                      |
| मध्य प्रदेश             | 0.0                        | 35.0                       | 3.8                        |

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| महाराष्ट्र   | 63.1   | 55.7   | 182.0  |
| मणिपुर       | 4.7    | 0.0    | 0.9    |
| मिजोरम       | 0.0    | 0.8    | 0.0    |
| दिल्ली       | 26.2   | 10.8   | 4.5    |
| ओडिशा        | 0.0    | 0.6    | 2.8    |
| पंजाब        | 16.6   | 45.8   | 12.2   |
| राजस्थान     | 10.4   | 96.3   | 83.0   |
| तमिलनाडु     | 0.0    | 20.5   | 9.6    |
| तेलंगाना     | 16.1   | 43.9   | 23.2   |
| उत्तराखंड    | 10.6   | 1.7    | 0.0    |
| उत्तर प्रदेश | 5.9    | 2.4    | 7.2    |
| पश्चिम बंगाल | 0.0    | 10.2   | 0.0    |
| कुल          | 1460.2 | 1522.7 | 1115.1 |

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22<br>(करोड़ रु. में) | 2022-23<br>(करोड़ रु. में) | 2023-24<br>(करोड़ रु. में) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| अरुणाचल प्रदेश          | 0.00                       | 0.82                       | 2.12                       |
| गुजरात                  | 0.00                       | 7.83                       | 28.72                      |
| हरियाणा                 | 161.12                     | 137.95                     | 429.78                     |
| हिमाचल प्रदेश           | 0.00                       | 5.85                       | 0.00                       |
| जम्मू और कश्मीर         | 0.00                       | 15.69                      | 0.00                       |
| झारखंड                  | 0.00                       | 20.04                      | 2.36                       |
| कर्नाटक                 | 0.00                       | 0.00                       | 2.38                       |
| केरल                    | 0.00                       | 0.00                       | 28.53                      |
| मध्य प्रदेश             | 0.00                       | 0.00                       | 0.80                       |
| महाराष्ट्र              | 9.60                       | 247.60                     | 330.21                     |
| मणिपुर                  | 0.00                       | 0.23                       | 0.17                       |
| मेघालय                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.31                       |
| नागालैंड                | 0.00                       | 0.20                       | 0.18                       |
| ओडिशा                   | 0.00                       | 0.00                       | 7.69                       |
| पंजाब                   | 23.70                      | 31.11                      | 5.41                       |
| राजस्थान                | 153.49                     | 247.63                     | 49.41                      |
| तमिलनाडु                | 20.30                      | 0.00                       | 2.59                       |
| त्रिपुरा                | 7.36                       | 0.12                       | 17.81                      |
| उत्तर प्रदेश            | 13.73                      | 82.30                      | 92.13                      |
| उत्तराखंड               | 0.00                       | 4.00                       | 0.00                       |
| कुल                     | 389.3                      | 801.37                     | 1000.6                     |

सीपीएसयू योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का  
ब्यौरा

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र                       | 2021-22<br>(करोड़ रु. में) | 2022-23<br>(करोड़ रु. में) | 2023-24<br>(करोड़ रु. में) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>सीपीएसयू योजना चरण-I</b>                   |                            |                            |                            |
| दादरा और नगर हवेली तथा<br>दमन और दीव          | 0.00                       | 1.50                       | 0.00                       |
| मध्य प्रदेश                                   | 0.00                       | 32.25                      | 0.00                       |
| कुल   | 0.00                       | 33.75                      | 0.00                       |
| <b>सीपीएसयू योजना चरण-II (ट्रांश-I और II)</b> |                            |                            |                            |
| असम   | 0.00                       | 0.00                       | 6.80                       |
| बिहार   | 0.00                       | 1.75                       | 0.00                       |
| गुजरात  | 0.00                       | 0.00                       | 11.21                      |
| राजस्थान                                      | 0.00                       | 0.00                       | 380.1                      |
| तमिलनाडु                                      | 0.00                       | 0.00                       | 80.50                      |
| तेलंगाना                                      | 27.37                      | 0.00                       | 27.39                      |
| कुल   | 27.37                      | 1.75                       | 506.00                     |
| <b>सीपीएसयू योजना चरण-II (ट्रांश-III)</b>     |                            |                            |                            |
| आन्ध्र प्रदेश                                 | 0.00                       | 0.00                       | 22.45                      |
| गुजरात  | 0.00                       | 0.00                       | 134.70                     |
| कर्नाटक                                       | 0.00                       | 0.00                       | 112.35                     |
| राजस्थान                                      | 0.00                       | 0.00                       | 311.97                     |
| तमिलनाडु                                      | 0.00                       | 0.00                       | 0.47                       |
| कुल   | 0.00                       | 0.00                       | 581.94                     |

‘सौर ऊर्जा को बढ़ावा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 224 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

सौर ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र           | स्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1       | आंध्र प्रदेश                      | 4650.89                  |
| 2       | अरुणाचल प्रदेश                    | 14.72                    |
| 3       | असम                               | 180.77                   |
| 4       | बिहार                             | 257.34                   |
| 5       | छत्तीसगढ़                         | 1265.78                  |
| 6       | गोवा                              | 47.86                    |
| 7       | गुजरात                            | 15305.26                 |
| 8       | हरियाणा                           | 1905.19                  |
| 9       | हिमाचल प्रदेश                     | 137.29                   |
| 10      | जम्मू और कश्मीर                   | 73.89                    |
| 11      | झारखंड                            | 181.04                   |
| 12      | कर्नाटक                           | 8930.10                  |
| 13      | केरल                              | 1261.76                  |
| 14      | लद्दाख                            | 7.80                     |
| 15      | मध्य प्रदेश                       | 4248.69                  |
| 16      | महाराष्ट्र                        | 8133.57                  |
| 17      | मणिपुर                            | 13.79                    |
| 18      | मेघालय                            | 4.28                     |
| 19      | मिजोरम                            | 30.35                    |
| 20      | नागालैंड                          | 3.17                     |
| 21      | ओडिशा                             | 608.38                   |
| 22      | पंजाब                             | 1375.79                  |
| 23      | राजस्थान                          | 24553.13                 |
| 24      | सिक्किम                           | 7.56                     |
| 25      | तमिलनाडु                          | 9324.05                  |
| 26      | तेलंगाना                          | 4842.10                  |
| 27      | त्रिपुरा                          | 20.93                    |
| 28      | उत्तर प्रदेश                      | 3286.98                  |
| 29      | उत्तराखंड                         | 592.07                   |
| 30      | पश्चिम बंगाल                      | 310.47                   |
| 31      | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह     | 29.91                    |
| 32      | चंडीगढ़                           | 75.51                    |
| 33      | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 48.12                    |
| 34      | दिल्ली                            | 288.39                   |
| 35      | लक्षद्वीप                         | 4.97                     |
| 36      | पुडुचेरी                          | 52.27                    |
| 37      | नाबार्ड परियोजनाओं सहित अन्य      | 45.01                    |
|         | कुल (मेगावाट)                     | 92119.18                 |